मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल

क्रमांक : 974 /तक.शा./मं./17 भोपाल, दिनांक 21/07/2017

प्रति,

उपायुक्त,
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल,
वृत्त–1/2 भोपाल/सागर/विद्युत वृत्त भोपाल/
ग्वालियर/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/रीवा।

विषय :– मध्य प्रदेश रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में रीयल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीयन करने बाबत।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3438–39 दिनांक 11/11/2016, क्र. 281 दिनांक 21/2/2017, परिपत्र क्र. 24 दिनांक 17/4/2017, पृ.क्र. 591 दिनांक 22/4/2017, पृ. क्र. 744 दिनांक 23/5/2017, पृ.क्र. 889 दिनांक 29/6/2017, तथा पत्र क्र. 971 दिनांक 20/7/2017.

——

1. आपको विदित ही है कि रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–2 के खण्ड–छ के उप खण्ड–4 के साथ पठित धारा–84 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 को मध्य प्रदेश रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 अन्तर्गत म.प्र. में भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण का गठन 01 मई 2017 को हो चुका है एवं प्राधिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

2. रेरा अन्तर्गत योजनाओं के पंजीयन हेतु आपको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं अपेक्षा की गई थी कि योजनाओं के रेरा में पंजीयन बाबत समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. आपको विदित है कि रेरा द्वारा परिभाषित अनुसार प्रचलित/निर्माणाधीन योजनाओं का पंजीयन 31 जुलाई 2017 के पूर्व किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह अन्तिम दिनांक है एवं इसके पश्चात उक्त योजनायें अवैध योजनाओं की श्रेणी में आ जायेंगी। रेरा वेबसाइट के निरीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि अभी तक किसी भी वृत्त अन्तर्गत नई अथवा प्रचलित योजनाओं का पंजीयन रेरा में नहीं कराया गया है।

21/7/17

4. तत्संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रचलित/निर्माणाधीन योजनाओं का पंजीयन रेरा में 31 जुलाई 2017 के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा किसी भी अप्रिय स्थिति के संबंध में आप उत्तरदायी रहेंगे।

5. यहां यह उल्लेखनीय है कि रेरा अन्तर्गत योजनाओं के पंजीयन हेतु सक्षम कार्यवाही बाबत संभागों के कार्यपालन यंत्रियों को मुख्यालय द्वारा अधिकृत किया गया है अतः प्रश्नाधीन योजनाओं के पंजीयन कराते समय समस्त विवरण संभाग के कार्यपालन यंत्री के दिये जायें, जिससे कि रेरा से होने वाले ऑन लाइन पत्र व्यवहार की जानकारी संबंधित संभाग को त्वरित रूप से प्राप्त होकर इनका निराकरण संभव हो सके। विवरण निम्नानुसार है :-

प्रमोटर विवरण	
प्रमोटर नेम	एम.पी.हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड- संभाग ....
पेन विवरण	मण्डल का
ई-मेल	मण्डल द्वारा निर्धारित कार्यपालन यंत्री संभाग की ई-मेल आई.डी.
मोबाईल	संबंधित संभाग के कार्यपालन यंत्री का
सी.ई.ओ. विवरण	
समग्र विवरण	कार्यपालन यंत्री संभाग का
विगत पांच वर्ष की योजनाओं का विवरण	
योजनाओं का विवरण	संबंधित वृत्त का

21/7/17
अपर आयुक्त-1
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल,भोपाल

क्रमांक : 975 /तक.शा./मं./17 भोपाल, दिनांक 21/07/2017

प्रति,

1. निज सचिव, मान. अध्यक्ष/आयुक्त, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।
2. अपर आयुक्त-1/2, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी सह मुख्य विधिक सलाहकार/मुख्य संपदा अधिकारी/मुख्य वास्तुविद, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।

4. मुख्य आई.टी. अधिकारी, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल – कृपया ई–मेल के माध्यम से समस्त अधिकारियों को सूचित करने एवं मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. कार्यपालन यंत्री/संपदा अधिकारी, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग–1/2/3/4/5/6 भोपाल/होशंगाबाद/सागर/ संभाग–1/2 ग्वालियर/गुना/मुरैना/संभाग–1/2 इन्दौर/खण्डवा/धार/उज्जैन/रतलाम/संभाग–1/2 जबलपुर/कटनी /छिन्दवाड़ा/बालाघाट/रीवा/सतना/शहडोल/सिंगरौली/सागर/विद्युत संभाग भोपाल/इन्दौर/जबलपुर।
6. संपदा अधिकारी,म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संप्र. प्रक्षेत्र भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर।

अपर आयुक्त–1
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल,भोपाल